दिनांक : 31 जुलाई 2010

सेवा में,

सभी सदस्य

राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम समिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय।

महोदया/महोदय,

हम, प्रस्तावित रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित लोग, एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं – इस परियोजना के अंतर्गत रेणुका, राजगढ़, नाहन, पौंटा साहिब और शिमला वन प्रभागों में से लगभग 900 हैक्टेयर वन भूमि को परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

1. **आजीविकाओं को नुकसान और अधिकारों की बंदोबस्ती** : इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, 37 गांवों के लगभग 1000 परिवार, खासकर सीमांत गरीब तथा भूमिहीन लोग, इन जंगल क्षेत्रों में अपने मवेशी चराने, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने तथा गैर–काष्ठीय वनोपज एकत्रित करके अपनी आजीविका चलाने के लिए निर्भर हैं। कई आदिवासी बकरीवालों के यहां छप्पर हैं और वे इन जंगलों के रास्ते से होकर वहां जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासियों तथा वनाश्रित आदिवासियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों के जंगल उपयोग वन बंदोबस्ती प्रक्रियाओं के अंतर्गत विस्तृत रूप से वर्णित किए गए हैं। यह सभी समुदाय वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दी गई अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हमें डर है कि, जैसा कि हमेशा होता आया है, वन भूमि के परिवर्तन को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय लोगों के वन अधिकारों और इन वनों पर उनकी निर्भरता को एक बार फिर नज़रंदाज़ कर दिया जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 30 जुलाई, 2009 को जारी

किए गए आदेशपत्र के अनुसार, किसी भी परियोजना को वन मंजूरी तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि संबंधित क्षेत्र में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों की बंदोबस्ती न की गई हो। इस आदेशपत्र के आधार पर रेणुका परियोजना को वन मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में अभी वन अधिकारों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरु भी नहीं की गई है। हिमाचल सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में बंदोबस्ती तथा वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरु करना अभी बाकी है। (ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं द्वारा इस संदर्भ में लिखे गए पत्र अनुलग्न हैं)। ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किए गए हैं, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशपत्र के अनुसार आवश्यक हैं।

2. **निजि वनों की वनोपज तथा जैवविविधता को अपूर्णनीय क्षति** : बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि परियोजना प्रस्तावकर्ताओं का दावा है कि इस परियोजना के अंतर्गत जितनी भी वन भूमि डूब या परिवर्तित की जानी है उसमें कोई खास वनस्पति मौजूद नहीं हैं। हांलांकि मौके पर लाखों की संख्या में साल, खैर, आंवला आदि के पेड़ देखे जा सकते हैं। पर्यावरण असर आंकलन रिपोर्ट में भी गिरि नदी घाटी की वनस्पत्य, पशु तथा जलीय पारिस्थितिकी का विस्तृत वर्णन किया गया है। परियोजना की पर्यावरण असर आंकलन रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित बांध के 10 कि.मी. घेरे में से यदि कृषि, बसाहट, जल क्षेत्र, बंजर भूमि, बर्फीले क्षेत्र निकाल दिए जाएं तो बाकी बचे 65.02 प्रतिशत क्षेत्र (जिसका अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्र है) में ''घने जंगल'' हैं। इस क्षेत्र के निजि भूमि में मौजूद पेड़ों की गिनती करने के लिए रखे गए ठेकेदार की रिपोर्ट में लगभग 13 लाख पेड़ों की गिनती हुई, जहां एच.पी.पी.सी.एल. के अनुसार कोई पेड़ मौजूद नहीं है। इन जंगलों को जो क्षति पहुंचेगी उसे कभी भी वनारोपण कार्यक्रमों के ज़रिए पूरा नहीं किया जा सकता। इन जंगलों में घने पेड़ होने के अतिरिक्त, शामलात जंगलों में भी घने पेड़ हैं – परियोजना के लिए 455 हैक्टेयर शामलात जंगल भी अधिगृहीत किए जाने हैं। लेकिन शामलात जंगलों के पेड़ों की तो गिनती भी

नहीं करवाई जा रही – यहां तक कि, परियोजना प्रस्तावकर्ता तो इन जंगलों में पेड़ों की मौजूदगी से साफ इंकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, 49 हैक्टेयर रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य को परिवर्तित किया जाना (जिसके संबंध में शिमला उच्च न्यायालय में मामला दर्ज है) और रेणुका झील, जो कि एक रामसर स्थल के रूप में मान्यताप्राप्त जगह है तथा प्रस्तावित बांध स्थल से जुड़ा हुआ है – इन मुद्दों को भी गंभीरता से देखने की ज़रूरत है।

3. **निजि जंगलों के लिए भी वन मंजूरी की आवश्यकता है** : निजि एवं शामलात जंगलों के संदर्भ में एक आवश्यक मुद्दा है कि इन क्षेत्रों के अधिग्रहण से पहले भी वन मंजूरी लेनी ज़रूरी है, जो एच.पी.पी.सी.एल. ने नहीं ली है। सर्वोच्च न्यायालय के 8 मई, 2009 को जारी आदेश पत्र संख्या 2370, जो कि समादेश याचिका संख्या 202/1995, टी.एन.गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारतीय संघ तथा अन्य मामले के अंतर्गत जारी किया गया था, द्वारा केन्द्रीय अधिकृत कमिटि की निम्नलिखित संस्तुतियों को लागू किया गया था – कि 5 हैक्टेयर से अधिक, एकसार चले आ रहे जंगल क्षेत्रों, जो कि अन्यथा ''जंगल'' श्रेणी में अधिसूचित नहीं हैं, को भी जंगल ही माना जाए, खासकर वन संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में। इन क्षेत्रों में पेड़ काटे जाने या इनका गैर–वानिकी उपयोग करने की अनुमति देने से पहले वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी लेना आवश्यक है। अतः रेणुका परियोजना निर्माण के अंतर्गत आने वाली शामलात भूमि के लिए भी वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी लेनी होगी। लेकिन इस प्रकार की मंजूरी देने से पहले वन विभाग को इन क्षेत्रों में बंदोबस्ती की प्रक्रिया के माध्यम से हकदारों के अधिकारों को मान्यता देनी होगी, खासकर क्योंकि यह जंगल स्थानीय लोगों की चारे व ईंधन की लकड़ी की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के साथ–साथ आजीविकाओं में महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान भी करते हैं। इस मुद्दे पर तुरंत कार्यवाही करना अतिआवश्यक है।

हम एक बार फिर दोहराते हैं कि यह सभी वन क्षेत्र स्थानीय लोगों की आजीविकाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यहां वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा पर्यावरण मंत्रालय के 30 जुलाई, 2009 के आदेश पत्र के अंतर्गत अधिकारों को मान्यता देने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। हम इस पत्र के अनुलग्नक में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन सलाहकार कमिटि के साथ हुआ सभी पत्र–व्यवहार शामिल कर रहे हैं। साथ ही रेणुका बांध के संभावित नकारात्मक प्रभावों की एक विस्तृत रिपोर्ट भी अनुलग्न है। हम आशा करते हैं कि आप की कमिटि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराएगी तथा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया भी शीघ्र ही चालू की जाएगी। साथ ही आशा है कि इस परियोजना के लिए किसी भी प्रकार के वन भूमि परिवर्तन को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

धन्यवाद